UPSR010000972024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–सौरभ सक्सेना , (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D– UP–1753

<u>सत्र वाद संख्या–28/2024</u>

उत्तर प्रदेश राज्य ———————अभियोगी/वादी।

बनाम

1– किशोरीलाल वर्मा पुत्र चिल्हू वर्मा

2– बुधराम उर्फ बुद्ध वर्मा पुत्र चिल्हू वर्मा

3– चिल्हू वर्मा पुत्र भल्लार वर्मा **(मृत्यु के कारण वाद की कार्यवाही उपशमित)**

4– मंशाराम पुत्र छेदन वर्मा

निवासी गौड़रा, दा०–राजावीरपुर थाना–भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

5– बड़कऊ वर्मा पुत्र भल्लार वर्मा निवासी नरयनापुर, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती।

———————विपक्षीगण/अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–286/1998

धारा–363, 366 भा०दं०सं०

थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

वादी	उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिनिधित्व	श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह, ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल)
अभियुक्त	1– किशोरीलाल वर्मा पुत्र चिल्हू वर्मा 2– बुधराम उर्फ बुद्ध वर्मा पुत्र चिल्हू वर्मा 3– चिल्हू वर्मा पुत्र भल्लार वर्मा **(उपशमित)** 4– मंशाराम पुत्र छेदन वर्मा 5–बड़कऊ वर्मा पुत्र भल्लार वर्मा
प्रतिनिधित्व	श्री शहरोज कमाल, एडवोकेट
घटना की तिथि व समय	15–12–1998, समय 6:00 बजे
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि व समय	17–12–1998, समय 20:20 बजे
आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	10–02–1999
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	25–06–2024
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	16–07–2024
निर्णय की तिथि	08–07–2026

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.07.08 15:56:25 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत सत्र वाद थाना कोतवाली भिनगा की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–286/1998 धारा–363,366 भा०दं०सं० पर विद्वान सी०जे०एम० द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त उपार्पित किये जाने पर संस्थित हुआ है।

2– प्रस्तुत मामला लड़की/स्त्री के विरूद्ध लैंगिक अपराध से सम्बन्धित है। अतः **भारतीय न्याय संहिता की धारा–72(2)** में उल्लखित उपबन्धों एवं **ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006(4) सुप्रीम 313** एवं **प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य 2008 (63) एस०सी०सी० 94 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के नाम का उल्लेख न करते हुये निर्णय में उसे "पीड़िता" शब्द से सम्बोधित किया जायेगा।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी बुधई कुमार पुत्र दशरथ ने कोतवाल थाना–कोतवाली भिनगा को तहरीर इस आशय से दी कि उसकी पुत्री/पीडिता उम्र करीब 13 साल को उसके ही गांव का बुद्व वर्मा पुत्र चिनकू कुछ दिन पहले परेशान करने की नियत से बुरे शब्दो का प्रयोग किया था। जिसकी सूचना उसने थाने में दी थी कि दिनांक–15–12–1998 को उसकी लड़की/पीडिता टट्टी करने के लिए शाम के 6:00 बजे अकेली गयी थी। उसके ही गांव के किशोरीलाल पुत्र चिनकू, चिल्हू पुत्र भल्लर व बुद्व वर्मा पुत्र चिल्हू व मंशाराम भुजवा पुत्र छेदन जो उसकी लड़की को बदनियती से बहला फुसलाकर भगा ले जा रहे थे कि उसके गांव की गोमती पुत्र ईश्वरदीन व ननकू पुत्र बद्री उसकी लड़की को ले जाते हुए देखे थे। जिन्होंने ले जाने से मना किया परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने। अपनी लड़की की तलाश करता रहा परन्तु नहीं मिली।

4– वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–कोतवाली भिनगा में अभियुक्तगण किशोरीलाल, बुद्वराम उर्फ बुद्व वर्मा, मंशाराम भुजवा, बडकऊ वर्मा, चिल्हू के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–363,366 भा०दं०सं० के अन्तर्गत पंजीकृत हुयी तथा मुकदमें का खुलासा नकल जी०डी० में किया गया।

5– मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अफजल सलीम खां द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक, नकल रपट की नकल केस डायरी में करते हुए एफ०आई०आर० लेखक, वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहान का बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल की नक्शा–नजरी तैयार किया। विवेचक ने आगे पीड़िता को बरामद कर उसका बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया तथा पीड़िता का मेडिकल कराया। विवेचक ने पीड़िता का बयान

अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया। विवेचक ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया। विवेचक ने अन्य गवाहान एवं डॉक्टर के बयान अंकित किये। बादहू पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–363, 366 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6– न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त होने पर दिनांक–09–08–1999 को विद्वान सी०जे०एम०, श्रावस्ती द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक–11–12–2023 को प्रश्नगत पत्रावली विचारण हेतु सत्र न्यायालय कमिटल की गयी।

7– दिनांक–11–01–2024 को प्रश्नगत पत्रावली सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा दर्ज रजिस्टर की गयी और दिनांक–01–04–2026 को माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश से प्रश्नगत पत्रावली इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुयी।

8– दिनांक 25–06–2024 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण किशोरीलाल, बुद्धराम उर्फ बुद्ध वर्मा, मंशाराम भुजवा, बड़कऊ वर्मा के विरूद्ध धारा–363, 366 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

9– राज्य की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये हैः–

क्र०सं	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
1–	पी०डब्लू०–1	बुधई	प्रथम सूचक

10– दिनांक–25–05–2026 को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र चिक एफ०आई०आर० की प्रमाणित कार्बन प्रति, कायमी जी०डी० की प्रमाणित छायाप्रति, आरोप पत्र, नक्शा–नजरी, मेडिकल प्रपत्र, फर्द गिरफ्तारी मेमो की औपचारिकता स्वीकार करते हुए तथ्य से इन्कार किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार करने के पश्चात अभियोजन द्वारा अन्य साक्ष्य न प्रस्तुत करने का अंकन आदेश पत्र कर दिया। जिस कारण अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

11– दिनांक–06–06–2026 को अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन गवाहान द्वारा गलत व झूठा बयान देना बताया और अभियोजन प्रपत्रों को गलत रूप से साबित करने का कथन किया।

12– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नवत् हैः–

13– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू–1 वादी मुकदमा बुधई पुत्र दशरथ** ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मिनका मेरी पुत्री है। घटना आज से

लगभग 28 वर्ष पहले की है। घटना वाले दिन मेरी लड़की निक्का शौच के लिए शाम को 6:00 बजे गयी थी। वहीं से चिल्हू अपने साथियों के साथ मेरी लड़की को कहीं भगा ले गये थे। इस बात की प्राथमिकी मैंने थाना भिनगा में लिखायी थी। मेरी लड़की मुझे घटना के तीसरे दिन मिल गयी थी। घटना की लिखित सूचना मैंने थाने पर दिया था। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था। साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने यह बयान पुलिस वालों को दिया था। मेरे द्वारा दिये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है।

14– राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

15– राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण पर पीड़िता को बहला फुसलाकर व्यपहृत करने का आरोप है। वादी मुकदमा के न्यायालय में दिये बयान एवं अन्य अभियोजन गवाहान के बयान से घटना साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

16– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। वादी के बयान से घटना का समर्थन नहीं है। अभियोजन की ओर से पीडिता को परीक्षित नहीं कराया गया है, जो घटना की महत्वपूर्ण साक्षी थी। अभियोजन की ओर से तहरीर/एफ०आई०आर० में नामित गवाहान को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। अभियोजन गवाहान के बयान विरोधाभाषी है। अभियुक्तगण ने पीड़िता को बहला फुसलाकर नहीं भगाया है। अभियोजन साक्ष्य से घटना साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

17– अभियुक्तगण के विरूद्ध पीडिता को बहला फुसलाकर व्यपहृत करने का आरोप है। तहरीर में वादी ने यह कथन अंकित किये हैं कि उसकी पुत्री/पीडिता उम्र करीब 13 साल को उसके ही गांव का बुध वर्मा पुत्र चिनकू कुछ दिन पहले परेशान करने की नियत से बुरे शब्दो का प्रयोग किया था। जिसकी सूचना उसने थाने में दी थी कि दिनांक–15–12–1998 को उसकी लड़की/पीडिता टट्टी करने के लिए शाम के 6:00 बजे अकेली गयी थी। उसके ही गांव के किशोरीलाल पुत्र चिनकू, चिल्हू पुत्र भल्लर व बुद्ध वर्मा पुत्र चिल्हू व मंशाराम भुजवा पुत्र छेदन जो उसकी लड़की को बदनियती से बहला फुसलाकर भगा ले जा रहे थे कि उसके गांव की गोमती पुत्र ईश्वरदीन व ननकू पुत्र बद्री उसकी लड़की को ले जाते हुए देखे थे। जिन्होंने ले जाने से मना किया परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने। अपनी

लड़की की तलाश करता रहा परन्तु नहीं मिली।

18– पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि घटना दिनांक को जब वह शौच के लिए गयी थी और शौच करके लौट रही थी तब बुद्ध, बड़कऊ, मनसा भुजवा और किशोरी उसके पास आये और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उठा ले गये और रास्ते में चारों लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। जब वह चिल्लायी तो ये लोग कट्टा लगाकर कहे कि चिल्लाओगी तो जान से मार डालेगे। वरूहा से उसे नानपारा ले जा रहे थे तब पुलिस ने पकड़ लिया। सभी लोग उसके साथ जबरदस्ती गंदा काम किये थे। अभियोजन की ओर से पीडिता को उपरोक्त कथनों को साबित करने हेतु परीक्षित नहीं कराया गया है।

19– अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने हेतु साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा बुधई को परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी पुत्री शौच के लिए गयी थी। वहीं से चिल्हू अपने साथियों के साथ उसकी लड़की को कहीं भगा ले गया था। **जिरह** में साक्षी ने बताया है कि घटना के बाद जब उसकी लड़की लौटकर घर आयी तो उसने बताया था कि उसे अभियुक्त चिल्हू वर्मा बहला फुसलाकर ले गया था। उसने यह भी बताया था कि उसे भगाने में किशोरीलाल, बुधराम, मंशाराम, बडकऊ वर्मा का हाथ नहीं था। उसकी लड़की ने यह भी बताया था कि यह चारों लोग उसे रास्ते में कहीं भी नहीं मिले थे। साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० को पढ़ सुनकर बताया कि लड़की भगाने वाली बात तो सही है लेकिन उसने चिल्हू वर्मा के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। साक्षी के उपरोक्त बयान को समग्रता के साथ अवलोकित करने से स्पष्ट है कि पीडिता को अभियुक्त चिल्हू ने बहला फुसलाकर भगाया था, पीडिता को भगाने में अभियुक्तगण किशोरीलाल, बुधराम, मंशाराम, बडकऊ वर्मा की कोई भूमिका नहीं थी। यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक होगा कि अभियुक्त चिल्हू की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

20– अभियोजन की ओर से घटना की सबसे महत्पूर्ण साक्षी पीडिता को परीक्षित नहीं कराया गया है, जो अभियोजन के विपरीत उपधारणा को बल देता है। अभियोजन की ओर से एफ०आई०आर० में अंकित चश्मदीद गवाहान को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। पत्रावली में संलग्न मेडिकल परीक्षण से भी अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित एक मात्र गवाह वादी मुकदमा के बयान से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप संदेह से परे साबित नहीं है।

21– उपरोक्त साक्ष्य के समग्र विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि

अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि अभियुक्तगण किशोरीलाल, बुधराम, मंशाराम, बडकऊ वर्मा पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गये थे। उक्त के विपरीत वादी मुकदमा के बयान से यह साबित है कि पीडिता को अभियुक्त चिल्हू बहला फुसलाकर व्यपहृत कर ले गया था। अभियुक्त चिल्हू की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण किशोरीलाल, बुधराम, मंशाराम, बडकऊ वर्मा के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–363,366 भा०दं०सं० युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण किशोरीलाल, बुधराम, मंशाराम, बडकऊ वर्मा को उपरोक्त धाराओं में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–286/1998, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती के अन्तर्गत अभियुक्तगण किशोरीलाल, बुधराम, मंशाराम, बडकऊ वर्मा को धारा–363,366 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूगण के बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उन्हें उनके जमानत दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। परन्तु अभियुक्त द्वारा धारा 437(ए) दं०प्र०सं० प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूगण के बंधपत्र अगले 06 माह तक प्रभाव में रहेगें।

निर्णय की एक प्रति धारा–365 दं०प्र०सं० के अनुपालनार्थ जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को भेजी जाये।

दिनांक–08–07–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–08–07–2026 (सौरभ सक्सेना)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।